

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।  
आरोपी बलवीर, राजवीर, वीर सिंह, श्रीमती कैलाशी  
सहित श्री गिराज भटेले अधिवक्ता।

प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है।

फरियादी कमलेश अधिवक्ता श्री आर.बी.दौदेरिया के  
साथ उपस्थित।

उभय पक्ष ने उनके मध्य राजीनामे की चर्चा हेतु प्रकरण  
मीडिएशन के लिए रैफर किये जाने का निवेदन किया।

निवेदन सद्भावी प्रतीत होने से विचारोपरांत स्वीकार  
किया गया।

प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर श्री मोहम्मद अजहर को  
रैफरल ऑर्डर सहित प्रेषित किया जाये।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु कुछ  
समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त। जिसके अनुसार उभय  
पक्ष के मध्य राजीनामा कार्यवाही हेतु सहमति बन गई है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आवेदक श्रीमती  
कमलेश कौरव पत्नी बलवीर कौरव, निवासी : ग्राम  
कंचनपुर, जिला-भिण्ड ने उनके अधिवक्ता श्री आर.बी.  
दौदेरिया के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक  
प्रस्तुत किया।

फरियादी/आवेदक श्रीमती कमलेश ने उसके  
अधिवक्ता श्री आर.बी.दौदेरिया के साथ उपस्थित होकर  
अभियुक्तगण पर लगे धारा 294, 323, एवं 506 भाग।। भा.द.  
सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी  
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

आवेदक/आहत कमलेश अभियोजित अपराध की धारा  
294, 323 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम  
पक्षकार है। उनकी पहचान श्री आर.बी.दौदेरिया अधिवक्ता द्व  
ारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण  
प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया

बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्ध अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजित की धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पंकज शर्मा  
जे.एम.एफ.सी., गोहद